

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना तहबरपुर**24 घण्टे के अन्दर हत्या से सम्बन्धित नामजद 04 वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार**

आवेदिका श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी अर्जुन निषाद साकिन टीकापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर वावत दिनांक 30-05-2021 को समय करीब 7 बजे शाम को मेरे पति एवं दीपक निषाद दवा लेने बाजार टीकापुर गये थे तथा सीमा अण्डा की दुकान पर अण्डा खाने लगे इसके बाद मेरे ही गाँव के ही विपक्षीगण आकाश यादव पुत्र रामायन यादव व गोविन्द उर्फ पुनीत पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम टीकापुर अण्डा की दुकान पर आ गये व अण्डा के लेन- देन के विवाद में गाली गुप्ता देने लगे तथा मना करने पर कड़िया से मारने लगे इतने में राजेन्द्र पुत्र दहारी व रामायन पुत्र लालचन्द यादव भी आकर लाठी डण्डे से प्रहार कर अधमरा कर दिये जिससे मेरे पति व दीपक निषाद घायल अवस्था मरहम पट्टी के लिए अमरावती अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में पुनः विपक्षीगण गोविन्द उर्फ पुनीत यादव व आकाश यादव पुत्र रामायन बच्चा बाबू की देत्रादय अड्डा के सामने मेरे पति अर्जुन निषाद को मारे पीटे जिससे उनकी मृत्यु हो गयी इसके बाद आकाश अपनी मैजिक गाड़ी नं० UP50 CT 8939 से मृतक के ऊपर चढाते हुए भाग गये। उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु० 0अ०सं० 41/21 धारा 323,504,302 भादवि पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना मुझ प्र०नि० शत्रुघ्न कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान वाँछित / वारन्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के नेतृत्व में प्र०नि० शत्रुघ्न कुमार व व०उ०नि० बसन्त लाल व उ०नि० सुरेन्द्रनाथ मय हमराह कर्मचारीगण के क्षेत्र में मामूर थे। जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई की मु० 0अ०सं० 41/21 धारा 323/504/302 भादवि में नामजद वाँछित अभियुक्तगण इस समय अपने-अपने घरों पर मौजूद है लोगो के हंगामा के डर से घर से कहीं चले गये थे कुछ समय पहले घर वापस आ गये है। इस सूचना पर विश्वास करके बारी-बारी से अभियुक्तगणों के घर पर दबिश देकर 1. आकाश यादव पुत्र रामायन यादव उम्र करीब 19 वर्ष, 2. गोविन्द उर्फ पुनीत पुत्र राजेन्द्र यादव उम्र करीब 19 वर्ष, 3. राजेन्द्र यादव पुत्र दहारी यादव उम्र करीब 52 वर्ष, 4. रामायन यादव पुत्र लालचन्द यादव उम्र करीब 39 वर्ष निवासीगण टीकापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05.00 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु० 0अ०सं० 41/21 धारा 323,504,302 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्तगण**

1. आकाश यादव पुत्र रामायन यादव
2. गोविन्द उर्फ पुनीत पुत्र राजेन्द्र यादव
3. राजेन्द्र यादव पुत्र दहारी यादव
4. रामायन यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी टीकापुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

## गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र०निरीक्षक तहबरपुर शत्रुघ्न कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
2. व०उ०नि० बसन्त लाल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
3. उ०नि० सुरेन्द्र नाथथाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
4. का० मनोज कोरी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ
5. का० अजीत सिंहथाना तहबरपुर जनपद आजमगढ